

**फर्द अहकाम**

सौहन कंवर

बनाम उमैदीसिंह सौहन

नाम न्यायालय - ACU Chamy

केस संख्या - 32/2021

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	10/6/24	व. प्रार्थी उप.। पश्चात्तरी वारंटे बख्त न.इ. हेतु दिनांक 03/02/24 को फेर दिया।
	03/02/24	व. प्रार्थी उप.। पश्चात्तरी वारंटे बख्त न.इ. हेतु दिनांक 01/08/24 को फेर दिया।
	07/08/24	व. प्रार्थी उप.। न.इ. प्र. पत्र पर बख्त सुनी गयी। बख्त पर भनक शिया गया। पश्चात्तरी पर उपलब्ध दस्तावेजों को उपलब्ध शिया गया। मूल वाड, संपन्न, सन्धान उत्तरती व स्थानी निषेधाज्ञा को प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07/3/22 को अन्तरिम बख्त निषेधाज्ञा जारी की हुई थी उक्त अन्तरिम बख्त निषेधाज्ञा को ता फेरलता मूल वाड सन्धान शिया जाण उचित प्रकृत होता है ताकि पुष्कलगत के मध्य वाड बहुलता नी बैठे। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम बख्त निषेधाज्ञा दिनांक 07/3/22 को ता फेरलता मूल वाड सन्धान शिया जाता है पश्चात्तरी फेरलता सुकर वेकर उक्त न्यायालय से कत व न्यायालय वाड के साथ रहे।

सहायक कलेक्टर  
घोड़ (जयपुर)